मैसर्स ग्रीन अर्थ एस्पाल्ट एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड

बनाम

महाराष्ट्र राज्य ट्रांसपोर्ट पी एस ओ व अन्य

(एस बी सिन्हा एवं आफ्ताब आलम न्यायाधीपतिगण)

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973:-

धारा 482- आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करना- फर्म एवं उसके भागीदारों के विरूद्ध धारा 141 पर परक्राम्य लिखित अधिनियम में याचिका- अभिनिर्धारित- ऐसे भागीदार, जिनके विरूद्ध शिकायत में कोई कथन नहीं है, के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही निरस्त की जा सकती थी। लेकिन फर्म एवं उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जिसने चैक पर उस हैसीयत से हस्ताक्षर किये है, के विरूद्ध नहीं- उच्च न्यायालय के आदेश को उपरोक्तानुसार संशोधित किया गया- परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881- धारा 141- भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226 व 227।

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत-

एस एम एस फार्मासुटीकस लिमिटेड बनाम नीताभल्ला व अन्य 2005 (3) सप्लीमेन्ट्री एस सी आर 371=(2005) 8 एस सी सी 89- रिलाईड ऑन पैरा 6

आपराधिक अपीलिय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1310/2008

बम्बई उच्च न्यायालय, नागपुर बैंच, नागपुर द्वारा आपराधिक याचिका संख्या 873/2006 में दिनांक 12.07.2006 को पारित अंतिम निर्णय व आदेश के विरूद्ध।

अपीलार्थी- अधिवक्ता- सुभ्रामण्यम प्रसाद

प्रत्यार्थी- अधिवक्ता- रविन्द्र केषवराव अदसुरे, राणा एस बिस्वास, मृदुल चक्रवर्ती एवं सरला चन्द्रा।

निम्न आदेश पारित किया गया:

अनुमति प्रदान की।

यह अपील बम्बई उच्च न्यायालय, नागपुर बैंच, नागपुर के निर्णय एवं आदेश दिनांक 12.07.2006 द्वारा आपराधिक संख्या 873/2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसके द्वारा प्रत्यार्थीयों द्वारा प्रस्तुत याचिका अंतर्गत धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं अनुच्छेद 226 व 227 भारत के संविधान वास्ते न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग अचलपुर में लम्बित आपराधिक प्रकरण संख्या 72/2005 को निरस्त करने को स्वीकार किया गया।

उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह प्रतिपादित किया कि धारा 141 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अनुसार फर्म के उन भागीदारों, जो कि फर्म के रोजमर्रा के कार्यों के लिए जिम्मेदार है, के विरूद्ध ही कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रतिपादित विधि का कोई अपवाद नहीं है। उच्च न्यायालय की इस टिप्पणी का भी कोई अपवाद नहीं हो सकता कि फर्म के हर एक भागीदार को स्वतः ही पक्षकार नहीं बनाया जा सकता।

लेकिन इस निष्कर्ष के बावजूद उच्च न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि धारा 141 परक्राम्य लिखित अधिनियम के कोई भी तथ्य याचिका में उल्लेखित नहीं है। धारा 141 परक्राम्य लिखित अधिनियम में यह विधिक अवधारणा ली गयी है कि कम्पनी के डाईरेक्टर जिनमें फर्म के वह भागीदार भी सम्मिलित है जिनके द्वारा अपराध कारित किया गया है और जो कम्पनी के दिन-प्रतिदिन के कार्य के लिए जिम्मेदार है को कम्पनी के साथ अपराध के लिए जिम्मेदार माना जायेगा।

यह विवादित नहीं है कि प्रत्यार्थी संख्या 3 कम्पनी का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है और इस हैसीयत से उसने चैक पर हस्ताक्षर किये है। प्रत्यार्थी संख्या 2 फर्म है। उपरोक्त संदर्भ में याचिका में वह आवश्यक तथ्य नहीं लिये गये हैं जो प्रत्यार्थी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही के लिए आवश्यक थे। उनके विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही निरस्त की जा सकती थी, परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध नहीं। हस्तगत प्रकरण का यह पहलू इस न्यायालय द्वारा एस एम एस फार्मासुटीकस लिमिटेड बनाम नीताभल्ला व अन्य (2005) 8 एस सी सी 89 अभिनिर्धारित किया जा चुका है।

उपरोक्त कारणों को देखते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय का निर्णय प्रत्यार्थी संख्या 2 व 3 की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रत्यार्थी संख्या 4 व 5 की हद तक स्वीकार किया जाता है।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक न्यायाधिकारी मुकेश भार्गव आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।